न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 62/11 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्याः– 2011/00169

उनवान

1. समन्दर सिंह } पुत्रगण
2. जल सिंह } बृजेन्द्र सिंह
3. मुस0 राकेश पत्नी श्री जीत सिंह
4. लोकेश पुत्र श्री जीत सिंह

} जातियान् जाट निवासीयान् चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर(राज0)

.....अपीलाट।

बनाम

1. फौरान सिंह
2. उम्मेद सिंह
3. जवाहर सिंह

} पिस0 पेशगार सिंह जाति जाट निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर(राज0)

..... रेस्पोंडेन्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर प्रकरण संख्या 156/2009 उनवानी समन्दर सिंह बनाम फौरन सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री सुघड सिंह वकील अपीलांट।
2. श्री दिलीप सिंह वकील रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक–01.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0, इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण/अपीलाण्ट के पिता बृजेन्द्र सिंह पुत्र हरजी थे। साविक खसरा नम्बर 1845 मिन रकवा 01 बीघा 10 विस्वा व खसरा नम्बर 1844 रकवा 01 विस्वा वाके ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर वादीगण/अपीलाण्ट के पिता बृजेन्द्र सिंह की कब्जे खातेदारी की आराजी थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1845 मिन रकवा 01 बीघा 10 विस्वा प्रतिवादीगण की खातेदारी की थी। भू प्रबन्ध विभाग ने इनके हाल नम्बर 2034/0.35, 2036/0.19 जो मिलान क्षेत्रफल में साविक खसरा नम्बर 1845 रकवा 01 बीघा 10 विस्वा का हाल खसरा नम्बर 2034 व साविक खसरा नम्बर 1844 रकवा 01

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

बीघा 10 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 2036 बनना गलत रूप से अंकित किया है। खसरा नम्बर 1844 का रकबा मात्र 01 बिस्वा है। जिसको मिलान क्षेत्रफल मे गलत ढंग से 01 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 2034 को भी खसरा नम्बर 1845 के 01 बीघा 10 बिस्वा से बनना गलत अंकित किया है। क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 1845 का रकबा 03 बीघा था। इस प्रकार भू प्रबन्ध द्वारा खसरा नम्बर 1844 व 1845 का रकबा गलत रूप से प्रदर्शित करते हुये हाल खसरा नम्बर 2034/0.35 पर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को खसरा नम्बर 2036/0.19 में 0.18 एयर का प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को व 01 एयर पर वादीगण/अपीलाण्ट के पिता बृजेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार अंकित कर दिया जो गलत है तथा इस प्रकार के इन्द्राज बदलने का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को नही है। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के नाम हो रहे इन्द्राज को निरस्त कर वादीगण/अपीलाण्ट को हाल खसरा नम्बर 2036 के 0.18 एयर पर व 2034 के निष्फ हिस्सा मे वादीगण/अपीलाण्ट संख्या 01, 02 हिस्सा 2/3 व वादीगण/अपीलाण्ट संख्या 03, 04 हिस्सा 1/3 के तथा शेष निष्फ हिस्सा मे प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। लायक तहत अदालत ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का सही विवेचन कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेशो की कोई पालना नहीं की गयी है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, से वाद डिक्री किये जाने योग्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं करने का निष्कर्ष निकालते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले मन्सूखी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन सही व विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद सिद्व नहीं कर पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्य की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। न्यायालय हाजा से अपील प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात् अपीलाण्ट ने अपने दावे के समर्थन में कोई नयी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं जो दस्तावेजी पूर्व में पेश की गयी थी उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में ही वादीगण/अपीलाण्ट का दावा खारिज किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण पूर्व मे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.2009 से उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये विधिवत रूप से सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उभयपक्ष की ओर से कोई नई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण पूर्व के निर्णय को आधार बनाते हुये खारिज कर दिया। हम पाते है कि जमाबन्दी संवत 2033–36 अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1845

...अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

अखिलेश कुमार मिश्र
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

मिन रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 1844 रकबा 01 बिस्वा वाके ग्राम सिकरावा पर वादी/अपीलान्ट व जमाबन्दी संवत 2020 32 अनुसार खसरा नम्बर 1846 मिन रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा पर प्रतिवादी/रेस्पो० खातेदार काश्तकार दर्ज है। दौराने बन्दोबस्त नये नम्बर कायम करते हुए मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 1846 मिन रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का हाल नम्बर 2034 रकबा 35 एयर तथा खसरा नम्बर 1844 रकबा 01 बिस्वा का हाल नम्बर 2036 रकबा 10 एयर कायम किया जाकर खसरा नम्बर 2034 रकबा 35 एयर अकेले प्रतिवादी/रेस्पो० के नाम तथा खसरा नम्बर 2036 रकबा 10 एयर वादी/अपीलान्ट व प्रतिवादी/रेस्पो० के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से गलत है। वादी/अपीलान्ट को वास्तविक रकबे के मुकाबले पूरा रकबा नहीं दिया गया है और जहाँ तक मिलान क्षेत्रफल का प्रश्न है भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल गलत तरीके से मिलाया गया है क्योंकि खसरा नम्बर 1846 का कुल रकबा 03 बीघा था तथा खसरा नम्बर 1844 का रकबा मात्र 01 बिस्वा था तो 1844 का नया नम्बर बनाते समय 01 बीघा 10 बिस्वा रकबा कहाँ से लाया गया। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन प्रारम्भ से ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध थे। ऐसे अनेक न्यायिक दृष्टान्त हैं जिनमें भू प्रबन्ध को अभिलेख में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, बताया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.07.2010 निरस्त किये जाते हैं। राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी के रकबे बाबत भू प्रबन्ध संवत 2043 से 2062 की पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.07.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर